राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/म.उत्पी./2010/22873 जयपुर, दिनांक 10-6-10

अधिसूचना

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, 2010

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि सामाजिक और आर्थिक परिवेश में महिलाएँ सदा से उत्पीड़न की शिकार रही है। यद्यपि देश की आजादी के पश्चात महिलाओं में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में सहायक हो सकते हैं। परंतु यथार्थ स्थिति यह है कि इस सब के बावजूद महिलाओं को कदम–कदम पर सामाजिक दबाव सहना पड़ता है और भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

महिलाओं को इस त्रासदी से बचाने के लिए विभिन्न कानूनों में प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में महिलाओं को घरेलू हिंसा से व्यथित होने की स्थिति में सुरक्षा और प्रतिकर आदि हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। उससे पूर्व भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा कारित अत्याचार के प्रसंग में 498–ए आईपीसी, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि कानूनी प्रक्रिया स्थापित की गई है।

महिलाओं को सुलभ न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई तथा सामाजिक और शासकीय स्तर पर सलाह और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में एक उपयोग गैर–शासकीय संस्थाओं एवं पुलिस विभाग के माध्यम से चयनित थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की योजना प्रारंभ करना रहा है। अभी तक गैर–शासकीय संस्थाओं द्वारा अपने स्त्रोतों से 14 थानों में इस प्रकार के केन्द्र प्रायोगिक तौर पर चलाये जा रहे हैं। राज्य के 22 थानों में पुलिसकर्मियों के सहयोग से महिला प्रकोष्ठ और 24 थानों में पारिवारिक परामर्श केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए विभिन्न महिला संगठन इन महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के प्रसार और इन्हें चलाये जाने के लिए उचित आर्थिक सहायता की मांग करते रहे हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2010–11 से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महिला थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है। यह केन्द्र गैर शासकीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित किये जाऐंगे। तदानुसार राज्य में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के नियमन, संचालन एवं अनुदान हेतु एतद्द्वारा निम्नप्रकार से योजना लागू की जाती है:–

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, 2010

1	**नाम**	इस योजना का नाम 'महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, 2010' होगा।
2	**केन्द्र संचालन**	यह केन्द्र गैर–शासकीय संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएँगे।
3	**योजना का ध्येय**	सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर किसी भी रूप में हिंसा से व्यथित/उत्पीड़ित महिला की तुरंत सहायता/मार्गदर्शन एवं उसके संविधानिक अधिकारों का संरक्षण
4	**लागू होने की तिथि**	तुरंत प्रभाव से
5	**उद्देश्य एवं दायित्व**	(1) संबंधित पुलिस थाने पर आने वाली महिला की शिकायत पर महिला से बातचीत, उसकी व्यथा एवं शिकायत का आकलन एवं मार्गदर्शन; (2) किसी घरेलू समस्या के समाधान के लिए, जहां आवश्यक हो, उचित परामर्श, मार्गदर्शन व सलाह; (3) यह महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संबंधित महिला के पारिवारिक जनों को बुलाकर बातचीत करने व उचित समाधान निकालने के लिए अधिकृत होंगे; (4) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रसंग में उपयुक्त कार्यवाही हेतु व्यथित महिला को उचित मार्गदर्शन। ये महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत न्यायालयों, संरक्षण अधिकारियों एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं की सूची रखेंगे और आवश्यकतानुसार व्यथित महिला एवं संदर्भित सेवा के बीच तालमेल का काम करेंगे; (5) यदि कोई महिला निराश्रित अथवा किन्ही परिस्थितियोंवश अपना घर छोडने को विवश हो और उसके लिए तुरन्त आश्रय

की आवश्कयता हो तो ऐसी महिला को अधिसूचित आश्रयगृह में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करेगी;
(6) पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु उपाय करना। परंतु ऐसे उपाय व्यथित महिला को केन्द्र बिंदु मानते हुए और उसके हित को ध्यान में रखकर किए जाएँगे;

(7) महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का कार्य केसवर्क तकनीक पर आधारित होगा;

(8) यदि कोई महिला ऐसी स्थिति में आती है जिसमें तुरन्त चिकित्सीय सहायता की जरूरत हो तो उसकी चिकित्सा के लिए अधिसूचित चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/ डिस्पेन्सरी आदि) को संदर्भित किया जायेगा;

(9) जहां महिला के साथ कोई ऐसा अत्याचार कारित किया गया है जिसमें कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है तो उस प्रकरण में महिला को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने में सहयोग देना;

(10) स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से व्यथित महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाने में सहयोग देना;

(11) महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में पंजीकृत माने जाएँगे;

(12) यदि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को ऐसी सूचना मिलती है कि किसी महिला पर किसी प्रकार का अत्याचार कारित हो रहा है तो महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के प्रतिनिधि संबंधित थाने के सहयोग से उक्त महिला के घर अथवा ऐसे स्थान पर जहां ऐसा अपराध/अत्याचार कारित हो रहा है, महिला को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग देंगे। इस कार्य में संबंधित संरक्षण अधिकारी का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है;

(13) यदि किसी महिला को तुरंत आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से उचित सहायता उपलब्ध कराना।

6 **संस्था के चयन की प्रक्रिया**

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन का उत्तरदायित्व किसी प्रतिष्ठित गैर--शासकीय संस्था को सौंपा जाएगा। संस्था के चयन के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:--

(1) राज्य स्टीयरिंग कमेटी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु उपयुक्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएँगी।

(2) संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्ररूप में, दी गई शर्तों के अधीन अध्यक्ष, जिला महिला सहायता समिति (जिला कलक्टर) को प्रस्तुत किये जाएँगे।

(3) जिला कलक्टर, जिला महिला सहायता समिति की ओर से स्थानीय पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(4) प्राप्त आवेदनों की समीक्षा निम्नप्रकार से गठित जिला महिला सहायता समिति द्वारा की जाएगी है--

(i) जिला कलक्टर
(ii) जिला पुलिस अधीक्षक
(iii) मुख्यन्यायिक--मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश--पारिवारिक न्यायालय
(iv) संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग
(v) दो कानूनी सलाहकार
(vi) दो प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि
(vii) उपनिदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग--सदस्य--सचिव

- समीक्षा के निम्न आधार होंगे--

(i) संस्था इस योजना के अंतर्गत महिला सहायता एवं सुरक्षा केन्द्र संचालन की पात्रता रखती है

(ii) इस योजना की शर्तों एवं समय--समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संस्था महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र संचालन के योग्य हो

(iii) संस्था का महिला विकास और महिला सुरक्षा क्षेत्र में यथेष्ठ कार्यानुभव हो

(iv) संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो

(v) संस्था के पास महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र चलाने के लिए प्रशिक्षित / अनुभवी / योग्य कर्मचारी हों अथवा ऐसे कर्मी नियुक्ति हेतु उपलब्ध हों और संस्था की ऐसे कर्मियों को नियुक्ति देने की क्षमता हो

(vi) संस्था महिलाओं के हित में कार्य करने के योग्य हो

(vii) अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जाए।

(5)समीक्षा उपरांत, जिला महिला सहायता समिति प्राप्त सभी प्रस्तावों की सूची बनाएँगी और ऐसे सभी प्रस्ताव जिला महिला सहायता समिति की अभियुक्ति/अभिशंषा/सुझाव/ टिप्पणी के साथ जिला कलक्टर के माध्यम से सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाएँ जाएँगे।

(6) ऐसे प्राप्त सभी प्रस्तावों को बिन्दु 12 के अंतर्गत गठित स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएँगा।

(7) स्टीयरिंग कमेटी संस्थाओं की पात्रता, अनुभव, दक्षता एवं जिला सहायता समिति की अनुशंषा आदि को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त संस्था का चयन करेगी।

(8) ऐसी चयनित संस्था जिले में उन शर्तों के अधीन महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन करेगी जो विहित की जाएगी।

(9) परंतु जो संस्थाएँ यह योजना लागू होने से पूर्व से विभिन्न महिला थानों पर पुलिस विभाग के सहयोग से महिला एवं सलाह सुरक्षा केन्द्र संचालित कर रही है वे केवल जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंषा के साथ जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत कार्य जारी रखने के लिए सहमति पत्र दे सकेगी।

परंतु ऐसी संस्था के निरंतर कार्य जारी रखने की अनुमति उसके कार्य की समीक्षा के आधार पर राज्य स्टीयरिंग कमेटी द्वारा दी जायेगी। राज्य समिति को किसी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(10) इस हेतु चयनित संस्था व राज्य सरकार के प्रतिनिधि करार पत्र पर हस्ताक्षर करेगे।

(11) यदि कार्य की अवधि में चयनित संस्था के कार्य से जिला पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी संतुष्ट नहीं है तो जिला महिला सहायता समिति को ऐसी संस्था को हटाने के लिए राज्य स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्ताव भेज सकेगी। स्टीयरिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

7 **पात्रता**

(1) कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो;

(2) संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि मे संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए ;

(ख) उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।

8	थानों का चयन	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जिला मुख्यालय पर चयनित थाने के परिसर से संचालित होंगे। इन केंद्रों के लिए भवन में उपयुक्त स्थान और सुविधाएँ संबंधित थाने द्वारा प्रदान की जाएगी। परन्तु ये केन्द्र प्रत्येक ऐसी व्यथित महिला को जिसे मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता की आवश्यकता है, सहायता प्रदान करेंगे, चाहे वह महिला किसी भी थानाक्षेत्र की निवासी हो अथवा किसी भी अन्य थाने में उससे संबंधित प्रकरण दर्ज किया जाना अपेक्षित हो। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए थाने का चयन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा– 1. महिला थाने को प्राथमिकता दी जायेगी। 2. थाने के परिसर में केन्द्र संचालन के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएँ उपलब्ध हो। 3. परिवादी/व्यथित महिला और उसके साथ आने वाले व्यक्तियों के बैठने आदि की उपयुक्त व्यवस्था और अन्य सुविधाएँ (यथा पेयजल, शौचालय आदि) उपलब्ध हों। 4. ऐसी अन्य सुविधाएँ जो केन्द्र के सुगम संचालन के लिए आवश्यक हों।
9	अनुदान सीमा एवं प्रक्रिया	प्रत्येक महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को राज्य सरकार अधिकतम 3.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर सकेगी। इस राशि से संस्था निम्न मदों पर व्यय करने के लिए अधिकृत होगी–

(क) आवर्तक व्यय

क	आवर्तक व्यय				
क्र. सं.	मद	संख्या	अवधि	दर (रू. में)	कुल राशि वार्षिक
1	सामाजिक कार्यकर्ता	2 व्यक्ति (अधिमान्यता महिलाओं को)	12 माह	8000 प्र. व्य. प्र.मा.	1,92,000
2	प्रिंटिंग/स्टेशनरी	प्रति केन्द्र	12 माह	1000 प्र.मा.	12,000
3	कार्यालय व्यय	प्रति केन्द्र	12 माह	1500 प्र. मा.	18,000

4	आकस्मिक सेवाएँ/कानूनी सलाह आदी	प्रति केन्द्र	12 माह		6000 एकमुश्त
5	यात्रा व्यय आदि	प्रति केन्द्र	12 माह		20,000 एकमुश्त
6	प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशॉप/बैठक आदि	प्रति केन्द्र	12 माह		22,000 एकमुश्त
				योग आवर्तक मद	2,70,000
ख	अनावर्तक व्यय				
1	अनावर्तक व्यय	प्रति केन्द्र			30,000 एक बार
				योग अनावर्तक मद	30,000
				कुल योग क+ख	3,00,000

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि संस्था द्वारा प्रस्तावित/दी जा रही/अनुमोदित सेवाओं के आकलन के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

(2) अनुदान की स्वीकृत राशि में परिवर्तन/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार का रहेगा।

(3) प्रत्येक जिले में अनुदान की राशि संबंधित महिला सुरक्षा कोष में जमा की जायेगी। संबंधित संस्था को महिला सुरक्षा कोष से ही अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) अनुदान की राशि तीन किश्तों में देय होगी।
प्रथम किश्त--मई/जून में अग्रिम के रूप में
द्वितीय किश्त--सितम्बर/अक्टूबर (मई/जून में अग्रिम भुगतान की गई राशि का लेखा व उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर)
तृतीय किश्त--जनवरी/फरवरी (सितम्बर/अक्टूबर में अग्रिम भुगतान कीगई राशि का लेखा व उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर)
परंतु अगले वर्ष प्रथम किश्त की राशि का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि गत वर्ष के पूरे लेखे, उपयोगिता प्रमाग पत्र एवं चार्टड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(5) संस्था को अनुदान वास्तविक व्यय के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

(6) अनुदान की प्रत्येक मांग के साथ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

(7) अनुदान की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा अध्यक्ष, जिला महिला सहायत समिति के रूप में जारी की जायेगी।

(8) अनुदान की राशि का भुगतान जिला कलक्टर द्वारा हस्ताक्षरित चैक से किया जायेगा।

10 समन्वय एवं सहयोग

पुलिस विभाग से अपेक्षाएँ--

1. पुलिस विभाग प्रत्येक महिला थाने पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए जगह एवं आवश्यक फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाएगा;
2. पुलिस विभाग लैटरहैड व स्टेशनरी, कम्प्यूटर (उपलब्ध होने पर) तथा टाइप राइटर व टाइपिस्ट की सेवाएँ उपलब्ध करायेगा।
3. प्रत्येक केन्द्र पर एक महिला व एक पुरूष कांस्टेबल की सेवाएँ उपलब्ध कराई जायेगी;
4. आकस्मिक स्थिति में, विशेषकर किसी महिला पर कारित हिंसा की सूचना मिलने पर, घटनास्थल पर आने-जाने व अन्य आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को वाहन अथवा दो पहिया वाहन व पुलिस सहयोग उपलब्ध करवाना। परंतु यदि किसी कारणवश वाहन सुविधा उपलब्ध न हो सके तो संस्था सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेगी जिसका पुनर्भरण आकस्मिक सेवा मद से किया जा सकेगा;
5. केन्द्र पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दिया जाना;
6. विभिन्न पुलिस थानों को निर्देश पत्र जारी करना ताकि केन्द्र कर्मियों को आवश्यकतानुसार मदद मिल सके;
7. संचालक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों में केन्द्र के काम हेतु सुझाव रखना व उभरते मुद्दों पर चर्चा करना।

11 राज्य स्टीयरिंग कमेटी का गठन

इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर निम्न प्रकार से स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा--

1.	प्रमुख शासन सचिव, मबावि	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, गृह अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	महानिदेशक, पुलिस के प्रतिनिधि--2	सदस्य
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य--सचिव
5.	गैर--शासकीय संस्थानों के प्रतिनिधि--4 (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य

12 स्टीयरिंग कमेटी के उत्तरदायित्व एवं कार्य

राज्य स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी के निम्न दायित्व होगे--

1. यह समिति राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।
2. विभिन्न जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन के लिए गैर--शासकीय संस्थाओं का चयन करेगी।
3. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी।
4. यह समिति जहाँ आवश्यकता होगी कार्यक्रम को सुचारू

रूप से चलाने के लिए नीति–निर्देशक सिद्धांत तय करेगी।

5. संस्थाओं के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करायेगी और उपयुक्त निर्णय लेगी। यदि संस्था कार्य करने में अक्षम पायी जाती है या किसी अन्य प्रकार से संस्था का आचरण उचित नहीं है तो ऐसी संस्था की महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाए जाने की स्वीकृति निरस्त कर सकेगी।
6. इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय मांग की समीक्षा करेगी और आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

13 प्रबोधन

इन केन्द्रों के कार्य का समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों के कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संस्था द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी जो जिला पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी के साथ जिला महिला सहायता समिति को भेजी जायेगी। जिला महिला सहायता समिति समय–समय पर केन्द्र के कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा जहाँ आवश्यकता होगी मार्गदर्शन देगी। जिला महिला सहायता समिति अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र द्वारा निष्पादित कार्यों की भी समालोचना करेगी। यह रिपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्तुत करने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को नियमित रूप से भिजवाई जायेगी।

14 वार्षिक प्रतिवेदन

प्रत्येक महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, महानिदेशक पुलिस, जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला महिला सहायता समिति) व संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजी जायेगी।

आदेश से

(डा. सरिता सिंह)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/म.उत्पी./2010 22874-984 जयपुर, दिनांक 10-6-10

प्रतिलिपि–

1. महामहिम राज्यपाल महो. के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. मान. मुख्यमंत्री महो. के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर

3. निजी सचिव, मा. मंत्री महो., महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह/वित्त/आयोजना/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

7. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त जिला कलक्टर
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
10. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
11. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारी
12. निजी सहायक, आयुक्त एवं सचिव, मबावि, जयपुर
13. रक्षित पत्रावली

आयुक्त (म.अ.) एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधीनगर

क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/म.उत्पी./2010/30727 जयपुर, दिनांक 5-8-2010

आदेश

व्यथित महिलाओं को समय पर सलाह और मार्गदर्शन दिए जाने के उद्देश्य से राज्य में महिला थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु क्रमांक प.16(1)(44)/निमअ/म.उत्पी./2010/22873 दिनांक 10/06/2010 द्वारा 'महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, 2010' लागू की गई। इस योजना के बिंदु 5 में योजना के उद्देश्य एवं महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के दायित्व स्पष्ट किये गये हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों में स्थिति अधिक स्पष्ट की जानी अपेक्षित प्रतीत होती है ताकि केन्द्रों के दायित्व और उनके कार्यों को लेकर किसी प्रकार का संदेह न रहे।

इसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना के प्रसंग में निम्नप्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

बिंदु 5 में उद्देश्य एवं दायित्वों के प्रसंग में :–

- केन्द्र में सभी प्रकार की हिंसा/शोषण की शिकार महिलाओं को उनकी आवश्यकतानुसार संहयोग देने का प्रयास किया जायेगा। वे महिलाएँ वे लड़किया जिन पर घर में, ससुराल में, कार्यस्थल पर या किसी अन्य स्थान/संदर्भो में हो रही हिंसा/शोषण जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी स्वरूप में हो, केन्द्र पर मदद हेतु आ सकेंगी।
- केन्द्र का उद्देश्य महिला को अपनी परिस्थिति स्पष्ट बेहतर समझने में मदद करना है। केन्द्र परिस्थिति से जूझने के विभिन्न विकल्प महिला को सुझाने का प्रयास करेगा। महिला स्वयं तय करे कि वह क्या विकल्प अपनाना चाहती है और उसे किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। यथासंभव सभी प्रकार के सहयोग उसे उपलब्ध कराने या उसके लिए जुटाने में केन्द्र मदद करेगा।
- यह केन्द्र एक प्रकार से महिला संगठनों व पुलिस के बीच कड़ी का काम करेगा परंतु केन्द्र व पुलिस की भूमिका अलग–अलग होगी। यदि कोई महिला अपनी शिकायत लेकर केन्द्र के मार्फत या सीधे पुलिस के पास आतीहै तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। यदि कोई महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्र में अपनी शिकायत लेकर आये तो केन्द्र आवश्यकतानसार संबंधित पलिस थाने से मदद ले सकेगा। पुलिस भी केन्द्र से यथासंभव सहयोग ले सकेगी परंतु पुलिस के दायित्व केन्द्र या केन्द्र के किसी कर्मी को हस्तांतरित नहीं किये जायेंगे।

केन्द्र के कार्य निष्पादन हेतु निम्न प्रकार से प्रक्रिया निर्धारित होगी –

1) सर्वप्रथम महिला द्वारा उसकी अपनी समस्या का ब्यौरा देते हुए एक पत्र लेना। निरक्षर महिलाओं को इस हेतु केन्द्र के कार्यकर्ता मदद दे सकेंगे।
2) महिला से विस्तृत बातचीत कर उसकी स्थिति व समस्या की समझ बनाना।
3) महिला की स्थिति के अनुसार समस्याओं के विभिन्न विकल्प तलाशना।
4) विभिन्न विभागों, संस्थाओं से आवश्यक मदद हेतु सम्पर्क करना व मदद सुनिश्चित करना।
5) महिला की वांछानुसार आवश्यक सहयोग जुटाना।
6) फॉलो–अप के तहत महिला के साथ हर स्तर पर सम्पर्क रखना तथा परिवार, थाना, कोर्ट, चिकित्सालय, अन्य कार्यालयों आदि जगहों पर भी आवश्यक सहयोग देना।
7) केस के विषय में सभी जानकारियों व दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाये रखना।
8) नियमित समीक्षा बैठकों द्वारा कार्यप्रणाली, परामर्श व अन्य मदद को गतिशील व बेहतर बनाने का प्रयास करना।

(डा. सरिता सिंह)
आयुक्त (म.अ.) एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/म.उत्पी./2010 30728-822 जयपुर, दिनांक 5-8-10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. महानिरीक्षक (मा.अ.) पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
4. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

6. निजी सचिव, मा. मंत्री महो., महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9. निजी सहायक, आयुक्त एवं सचिव, मबावि, जयपुर

सलाहकार (म.अ.)